कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–प्रारं/नियु.प्रको./नियु–2/982/अ.भ. 2021–22/ले.I/पात्रता/दस्ता. सत्या./2022 दिनांकः 23.03.2022

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
प्रारम्भिक शिक्षा,
समस्त।

विषयः–राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2021–22 अन्तर्गत अध्यापक लेवल–प्रथम सामान्य शिक्षा एवं विशेष शिक्षा के पदों पर सूचीबद्ध किये गये अभ्यर्थियों के लम्बित प्रकरणों के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त अध्यापक सीधी भर्ती 2021–22 अन्तर्गत अध्यापक लेवल प्रथम के पदों पर दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता जांच हेतु सूचीबद्ध किये गये अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन उपरान्त पात्रता जांच दल द्वारा विभिन्न कारणों से अभ्यर्थियों के प्रकरणों को लम्बित रखकर निदेशालय से मार्गदर्शन चाहा गया है। विभाग द्वारा उक्त शिक्षक भर्ती अन्तर्गत दिनांक 31.12.2021 को जारी विज्ञप्ति एवं भर्ती के सम्बन्ध में सम्बन्धित परिपत्र एवं दिशा–निर्देश इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 10.02.2022 एवं 05.03.2022 के द्वारा आपको भिजवाये जा चुके है।

दस्तावेज सत्यापन उपरान्त पात्रता जांच दल द्वारा रखे गये लम्बित प्रकरणों का निम्नानुसार निस्तारण करावेः–

क्र. सं.	लम्बित रखने का कारण	प्रकरणों में की जाने वाली कार्यवाही
1	अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहा/वांछित दस्तावेज अपलोड नही किये गये?	दस्तावेज सत्यापन हेतु अन्तिम निर्धारित दिनांक 24.03.2022 तक अथवा विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन हेतु तिथि बढाये जाने पर निर्धारित अन्तिम दिनांक तक अनुपस्थित अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन का अवसर दिया जायें। अभ्यर्थी को न्यू पोस्टिंग मॉडयूल पर रजिस्ट्रेशन कराते हुए वांछित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
2	पात्रता जांच दल द्वारा क्या टिप्पणी अंकित करनी है?	इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 05.03.2022 के साथ प्रेषित परिशिष्ट–ख (पात्रता/अपात्रता के सम्बन्ध में अंकित की जाने वाली टिप्पणी) के अनुसार पात्रता जांच दल द्वारा चैकलिस्ट के भाग **"ब"** में वांछित टिप्पणी अंकित करनी अनिवार्य है।
3	किसी अभ्यर्थी द्वारा एक ही सत्र में दो अलग– अलग विश्वविद्यालय/संस्थानों से अलग–अलग विषयों में नियमित एवं स्वयंपाठी छात्र के रूप में डिग्रीयां/डिप्लोमा अर्जित की गई है?	**1. राज्य सरकार के पत्रांक 17(2)शिक्षा–2/2008 पार्ट दिनांक 04.05.2010, पत्रांक पं.7(10)प्राशि/आयो/2014 दिनांक 09.04.2015** के अनुसार यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक ही सत्र में दो अलग–अलग विश्वविद्यालयों से अलग–अलग विषयों में नियमित एवं स्वयंपाठी छात्र के रूप में अर्जित डिग्रीयां/डिप्लोमा मान्य है। **2. यू.जी.सी. की बेबसाईट पर दिनांक 21.04.2015 को जारी नोटिफिकेशन** के अनुसार दो डिग्री कार्यक्रम एक साथ जारी नही किये जा सकते है जबकि एक अभ्यर्थी एक साथ स्वयंपाठी छात्र के रूप में एवं नियमित छात्र के रूप में एक ही विश्वविद्यालय या अलग–अलग विश्वविद्यालयों से अलग–अलग(एक नियमित एक स्वयंपाठी) पाठयक्रम उत्तीर्ण कर सकता है।
4	यदि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक, डी.एल.एड. की अंकतालिकाओं/डिग्रीयों में अभ्यर्थी के स्वयं का अथवा अभ्यर्थी के माता/पिता के नाम में स्पेलिंग की त्रुटि हुई है?	अभ्यर्थी के स्वयं के नाम अथवा माता/पिता के नाम में आवेदन करते समय स्पेलिग की त्रुटि रही है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी से शपथ पत्र प्राप्त कर अभ्यर्थी की नियमानुसार पात्रता जांच की जाये।
5	महिला अभ्यर्थी के विवाह उपरान्त उपनाम में परिवर्तन होने पर?	विवाह उपरान्त महिला के उपनाम में परिवर्तन होने पर एवं उसका मूल नाम माध्यमिक अंकतालिका के अनुसार होने पर पात्रता जांच की जायें।
6	अभ्यर्थी द्वारा राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों से प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण किया है?	1. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की बेबसाईट से सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्थान जहां से अभ्यर्थी के द्वारा डी.एल.एड. का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उसकी मान्यता की पुष्टि कर पात्रता जांच की जायें। राजस्थान राज्य में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान(डाईट) के अलावा अन्य निजी विश्वविद्यालयों से जारी डी.एल.एड पाठयक्रम की मान्यता एन.सी.टी.ई. से है अथवा नही इसकी पुष्टि की जाये उदाहरणार्थः–सिंधानिया विश्वविद्यालय,

ट :- छात्र एक कलेण्डर वर्ष में दो उपाधि (एक वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय से तथा एक
यमित विश्वविद्यालय से) एक साथ कर सकता है, दोनों उपाधियाँ राजस्थान सरकार शिक्षा ग्रुप 2 के पत्र
ांक 17 [2] शिक्षा-2/ 2008/ पार्ट जयपुर दिनांक 04/05/2010 के द्वारा मान्य है।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

(विधि, आर0टी0आई0. प्रकोष्ठ)

कमांक: वमखुवि/कुस/आर.टी.आई./2016/1212 दिनांक 27-9-2016

श्री विनोद कुमार मीणा
द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)
क्षेत्रीय कार्यालय, ज्योति नगर,
जयपुर राज0 पिन–302005

विषय :– R.T.I. कमांक 831 एवं आपके पत्र दिनांक 15.9.2016 की सूचना भिजवाने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत उल्लेखित प्रार्थना पत्र में आप द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि "एक ही सत्र में दो पाठ्यकम करने के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का सूचना पत्र विश्वविद्यालय की विवरणिका में दिया गया है, जिसका UGC की वेबसाईट पर दिनांक 21–4–2015 को लिंक http://www.ugc.ac.in/deb/notices/NOTIFICATION-Policyon PursuingtwoormoreProgrammesSimultaneously.pdf है।"

उपरोक्त लिंक की साधारण व्याख्या की जा रही है– Two Degree Programmes cannot be allowed to be pursued simultaneously. However, a student can pursue two programmes simultaneously through distance mode or combination of distance and regular modes from the same or different Universities/Institutions in various combinations. Viz..,

1.One Degree and one Diploma/P G Diploma/Certificate 2.One P G Diploma one Diploma/Certificate 3. One Diploma and one Certificate 4.Two P G Diplomas 5.Two Diplomas 6. Two Certificates

उक्त जवाब के सम्बंध में यदि आपको कोई आपत्ति हो तो प्रथम अपील अधिकारी के रुप में माननीय कुलपति महोदय के समक्ष अपील की जा सकती है, प्रथम अपील अधिकारी का पता निम्नानुसार है:– प्रो0 अशोक शर्मा, कुलपति एवं प्रथम अपील अधिकारी, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, रावतभाटा रोड, कोटा 324021 दूरभाष न0 0744--2471254

भवदीय

कुलसचिव
एवं लोक सूचना अधिकारी

राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर

नोडल अधिकारी,
आर.टी.आई. सेल,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर।

क्रमांकः शैक्षणिक द्वितीय/2015/आर–698/1925/6737 दिनांक : 27.11.2015

विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी विनोद कुमार, जयपुर को सूचना भेजने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके पत्र दिनांक 07.10.2015 के सन्दर्भ में वांछित सूचना निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

प्रश्न संख्या	प्रश्न	उत्तर
1.	राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा की गई स्नातक (बी.ए.) स्वंयपाठी के रूप में (नॉन–कॉलेज) एवं शिक्षा विभागीय परीक्षाए, राजस्थान, बीकानेर (बी.एस.टी. सी.) दोनो एक साथ करने पर मान्य है या नहीं।	राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यादेश 168ए के तहत दो डिग्रीया मान्य नहीं है। प्रति संलग्न है।

RTI Received 27/11/2015

भवदीय

उप–कुलसचिव
शैक्षणिक

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–2)विभाग

क्रमांक : 17(2)शिक्षा–2/2008/पार्ट

जयपुर दिनांक 4-5-2010

सचिव,
राजस्थान लोक सेवा आयोग,
अजमेर।

विषय : प्राध्यापक–राजनीति विज्ञान (स्कूल शिक्षा), माध्यमिक शिक्षा विभाग के पदों पर सीधी भर्ती के संबंध में।

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक:एफ.7(8)भर्ती"ख" /2008–09/177 दिनांक 13.4.10

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम मे निर्देशानुसार लेख है कि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक ही सत्र मे दो अलग–अलग विश्वविद्यालयों से अलग–अलग विषयों मे (नियमित एवं मुक्त विश्वविद्यालय से स्वयंपाठी परिक्षार्थी के रूप मे) अर्जित उपाधि/डिग्रियां मान्य है।

भवदीय,

(एम.पी. [illegible])
शासन उप सचिव–प्रथम

5/5/2010

कार्यालय निदेशक,प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक–शिविरा / प्रार / शिप्र / 4454 / सू.अ. / 15 दिनांक– 04/12/2015

आशाराम जाट पुत्र श्री रामचन्द्र जी जाट, रजिस्टर्ड
गाँव–देवपुरा पोस्ट–हरनाथपुरा
तहसील–राशमी
जिला–चित्तौड़गढ़।
पिन न.–312203

विषयः– सूचना के अधिकार के तहत सूचना चाहने के संबंध में।

प्रसंग.– प्रार्थना पत्र दिनांक–26.10.15

सूचना के अधिकार के तहत आपके प्रासंगिक प्रार्थना पत्र के क्रम में राजस्थान सरकार द्वारा बी.एस.टी.सी.कोर्स के साथ स्वयंपाठी के रूप में स्नातक डिग्री के संबंध में जारी पत्र क्रमांकः प.7 (10) प्राशि / आयो / 2014 दिनांक 09.04.2015 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवा दी गयी है।

संलग्न–एक

सहायक लोक सूचना अधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः–अनुभाग अधिकारी,सूचना का अधिकार अनुभाग को टिप्पणी क्रमांक शिविरा / प्रार / सूअ / 13705 / (23)आशाराम जाट / चित्तौड़गढ़ / 15 / 4 दि.18.11.15 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक लोक सूचना अधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

R. श्री.प

10/4/2015

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

कमांक : प. 7(10)प्राशि/आयो/2014 जयपुर, दिनांक: 09/04/2015

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

रास 1867

विषयः– बी.एस.टी.सी. कोर्स के साथ स्वयंपाठी के रूप में स्नातक डिग्री करने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक शिविरा/प्रारं/शि.प्र./4467/13/35 दिनांक 27.03.2015

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत बी.एस.टी.सी. कोर्स के साथ स्वयंपाठी के रूप में स्नातक डिग्री करने के सम्बन्ध में आपके सन्दर्भित पत्र के कम में निर्देशानुसार निवेदन है कि अलग–अलग विश्वविद्यालयों/संस्थानों (नियमित एवं मुक्त विश्वविद्यालय से स्वयंपाठी परीक्षार्थी के रूप में) से अलग–अलग विषयों में नियमित एवं स्वयंपाठी छात्र के रूप में अर्जित डिग्रियां/डिप्लोमा मान्य हैं।

सूचना अधिकार के तहत प्रदत्त
सत्यापित प्रतिलिपि

सहायक निदेशक
प्रशिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय
राजस्थान-बीकानेर

भवदीय,

9/4/15
(बी. आर. चौधरी)
उप शासन सचिव